आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :– 382/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा : पी.एन.बी, हाउस 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन फार्म बायो जेन लिमिटेड,
   पता :– 02, मेघराज मार्केट, तृतीय तल, गॉधी चौक, जूनागढ, गुजरात।
   एवं एच–1/54, पुराना रिको इन्डस्ट्रियल ऐरिया, बगरू, जयपुर।
   एवं 161, बीगीस आर्केड, तृतीय तल, दसवॉ ब्लॉक, द्वितीय स्टेज, नागराभवी, बैगलुरू।
2. श्रीमती विमल देवी चौधरी पत्नी श्री गोपाल लाल जाट,
   पता :– ई–44, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
3. श्रीमती किर्ति चौधरी पत्नी श्री कमल चौधरी,
   पता :– पॉवर हाउस के सामने, शिव कॉलोनी, मालपुरा, जयपुर।
   एवं ई–44, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
4. श्री चवाडा प्रफुल कुमार हाजाभाई पुत्र श्री हाजाभाई देशाभाई चवाडा,
   पता :– 85–1, अक्षर नगर, विश्वराज बंगलो, टिमाबावडी बाईपास, फुलनथा अपार्टमेन्ट के पास, जूनागढ, गुजरात।
   एवं बंगलों नम्बर 07, मानव बरसाना, धमतीमबावडी, जूनागढ, गुजरात।
   एवं प्रथम तल एम, एम–काम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, पापारेड्डी पलाया नागरभवी, बैगलुरू।
5. श्री गोपाल लाल जाट पुत्र श्री भूरामल जाट,
   पता :– ई–44, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांकः 04.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी जाट के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 31/14/04, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 41.110 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 14.11.2018 को राशि 2,00,00,000/– रुपये व दिनांक 29.05.2020 को 40,00,000/– रुपये कुल राशि 2,40,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 2,40,00,000/— रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 1,98,44,719.28/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा—14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती विमला देवी जाट के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 31/14/04, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 41.110 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **04.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner